


आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री विजय कुमार पाठक, कनिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री विजय कुमार पाठक, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	जनहित

श्री विजय कुमार पाठक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पाठक का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1616 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/01/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विजय कुमार पाठक, कनिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री विजय कुमार पाठक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से कि श्री विजय कुमार पाठक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, काशीपुर/चम्पावत।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री चौथी प्रसाद, कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री चौथी प्रसाद, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट	जनहित

श्री चौथी प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री चौथी प्रसाद का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1617 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री चौथी प्रसाद, कनिष्ठ सहायक द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि श्री चौथी प्रसाद की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री चौथी प्रसाद को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयवधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/लोहाघाट।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री गोपाल राम, कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री गोपाल राम, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	जनहित

श्री गोपाल राम को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गोपाल राम का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-कृ०नि०/1618 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री गोपाल राम, वरिष्ठ सहायक द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि श्री गोपाल राम की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री गोपाल राम को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/भिकियासैण।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग	जनहित

श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पाण्डेय का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-कृ०नि०/ 1619 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग को इस निर्देश के साथ कि श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/बेरीनाग।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समितियों की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री कलम सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री कलम सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	जनहित

श्री कलम सिंह नेगी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नेगी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1620 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कलम सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री कलम सिंह नेगी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस आशय से कि श्री कलम सिंह नेगी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी।
5. कोषाधिकारी, नई टिहरी/नरेन्द्रनगर।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री राम सिंह कार्की, कनिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राम सिंह कार्की, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	जनहित

श्री राम सिंह कार्की को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कार्की का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1621 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राम सिंह कार्की, कनिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री राम सिंह कार्की को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि श्री राम सिंह कार्की की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, भिकियासैण/ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री हरीश लाल, कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री हरीश लाल, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर	जनहित

श्री हरीश लाल को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री हरीश लाल का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-कृ०नि०/1622 /स्था०अनु०-1/लि०स०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री हरीश लाल, कनिष्ठ सहायक द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर को इस आशय से कि श्री हरीश लाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री हरीश लाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/विकासनगर।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।